न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

प्रकरण स. (13/2015) 32/2025

नारायणलाल पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर

बनाम

1. रामधन पुत्र उगमा जाति जाट निवासी ग्राम गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः–

1. श्री भंवरलाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

निर्णय

दिनांक 29.10.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नं. 1222/991 रकबा 0.95 हैक्ट. ग्राम कादोलाई तहसील भिनाय में स्थित है। आवंटन सलाहकार समिति ने बिना सार्वजनिक उद्घोषणा जारी किये सरसरी तौर पर बिना नियमो की पालना एवं विवेचना अप्रार्थी को आवंटन करने की कानूनी गलती की है। विवादित आराजी ग्राम कादोलाई में स्थित है जबकि अप्रार्थी आवंटी वहां का निवासी ना होकर ग्राम गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा का निवासी है जिसे कानूनन अजमेर जिले में आवंटन नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी भूमिहीन काश्तकार भी नहीं है। विवादित आराजी को लेकर राजस्व मण्डल अजमेर में एक अपील जैरकार है। उक्त अपील के विचाराधीन रहते हुये विवादित आराजी का अप्रार्थी के हक में आवंटन नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन सलाहकार समिति केकड़ी का आदेश दिनांक 05.09.2008 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने प्रकरण में पत्रावली प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी विगत लम्बी अवधि से ग्राम कादोलाई में निवास करता है तथा ग्राम कादोलाई में ही अप्रार्थी का परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है। ग्राम गणपतिया खेड़ा जो ग्राम कादोलाई के सीमा के पास है विगत लम्बी अवधि से आवंटनशुदा भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त होने से अप्रार्थी को यह भूमि नियमानुसार आवंटन का पात्र होने से आवंटन की गई। प्रार्थी/शिकायतकर्ता अप्रार्थी से रंजिश रखता है पहले भी कई मुकदमेबाजी अप्रार्थी के विरूद्ध कर चुका है तथा येनकेन प्रकारेण परेशान करने के उद्देश्य से समस्त कार्यवाही कर रहा है। राजस्व मण्डल अजमेर में खसरा नं. 991 की 0.27 हैक्ट. भूमि बाबत पूर्व में किए गए आवंटन के क्रम में विवाद लम्बित है जबकि

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केक

खसरा नं. 991 का कुल रकबा 1.22 हैक्ट. है, जिसमें से 0.95 हैक्ट. भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया है। इन परिस्थितियों में किया गया आवंटन करने की कोई रोक बरवक्त आवंटन नहीं थी। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटी अप्रार्थी सं. 1 गणपतिया खेड़ा जिला भीलवाड़ा का निवासी है जबकि आवंटित भूमि ग्राम कादोलाई जिला अजमेर में स्थित है। जबकि अप्रार्थी के राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज में पता कादोलाई अंकित है। पत्रावली में अप्रार्थी की ओर में प्रस्तुत वकालतनामा मे भी उसका पता गणपतिया खेड़ा को व्हाइटनर से संशोधित कर कादोलाई किया है लेकिन उक्त संशोधन को प्रमाणित नहीं किया। खसरा नं. 991 जिसमें आवंटन किया गया उस आराजी के संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन है। आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन से पूर्व उद्घोषणा भी जारी नहीं की गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा नं. 991 कुल रकबा 1.22 हैक्ट. में से 0.95 हैक्ट. का उसे आवंटन किया गया तथा शेष जमीन जो पूर्व में ही आवंटन की जा चुकी थी उसके बाबत ही अपील राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन थी। साथ ही खसरा नं. 991 पर किसी प्रकार का कोई स्थगन भी नहीं था। आवंटन नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं कि भूमि बाबत वाद विचाराधीन हो तो आवंटन नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी कादोलाई का मूल निवासी है तथा गणपतिया खेड़ा में अस्थायी निवास है। दोनो गांवों की सीमा लगवा है। केवल मात्र अस्थायी पता दिये जाने के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। मेरे समस्त दस्तावेज राशनकार्ड, वोटर आईडी में पता कादोलाई ही है। मेरा पुराना कब्जाकाश्त होने से विधिवत् उद्घोषणा एवं नियमों की पालना में ही मुझे आवंटन किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

रिबटल बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि बरवक्त आवंटन वर्ष 2008 में आवंटन के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी ने अपना मूल निवासी ग्राम गणपतिया खेड़ा ही अंकित किया। बहस में जो तथ्य अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि वह मूल निवासी कादोलाई का है एवं अस्थायी गणपतिया खेड़ा निवास है, ऐसा अंकन आवंटन प्रार्थना पत्र में भी नहीं है। पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2020 में भी उसका नाम जिला भीलवाड़ा में दर्ज है। मूल खसरा नं. 991 जो विवादित है तथा जिस बाबत अपील राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। अप्रार्थी द्वारा उद्घोषणा जारी होना बताया है लेकिन ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। अतः अप्रार्थी द्वारा कपटपूर्ण मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवंटन प्राप्त किया है जो निरस्त किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(4) के अनुसार

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी या नियम 21 द्वारा निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा किए गए किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर निरस्त करने की कलेक्टर को शक्ति होगी, यदि आवंटन कपट या दुव्र्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्ध किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो।

आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा अपना पता रामधन पुत्र उगमा जाति जाट साकिन गणपतिया खेड़ा मूल निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील शाहपुरा पटवार सर्किल सणगारी जिला भीलवाड़ा अंकित किया है। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान की पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली, 2020 जिला परिषद भीलवाड़ा, पंचायत समिति शाहपुरा, ग्राम पंचायत सणगारी में क्रम सं. 281 पर दर्ज है। जिससे स्पष्ट होता है कि आवंटी अप्रार्थी सं. 1 जिला भीलवाड़ा का मूल निवासी है। जबकि उसे ग्राम कादोलाई जिला अजमेर में आवंटन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन हेतु नियम 7 के अनुसार उद्घोषणा जारी करने का विवरण पत्रावली पर नहीं है। हस्तगत आवंटन से पूर्व नियम 11 के तहत आवंटन की प्राथमिकताओं के अनुसार जांच करने का विवरण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि आवंटन से पूर्व पात्र व्यक्तियों की जांच उपरान्त कोई पात्र संबंधित जिले का व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर जिले से बाहर के व्यक्ति को आवंटन हेतु अनुशंषा की गई। भूमि आवंटन हेतु भूमि तहसील भिनाय जिला अजमेर में स्थित है, वहां के कार्मिक/पटवारी द्वारा अन्य जिला भीलवाड़ा के निवासी व्यक्ति के संबंध में टिप्पणी नहीं की जा सकती। आवंटन सलाहकार समिति में भी सभी सदस्य उपखण्ड भिनाय जिला अजमेर के है। जिससे प्रतीत होता है कि आवंटन से पूर्व हस्तगत प्रकरण में राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 की समुचित पालना नहीं की गई।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 रामधन पुत्र उगमा जाट निवासी ग्राम गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम कादोलाई के खसरा नं. 991 रकबा 0.95 हैक्ट. का दिनांक 05.09.2008 को किया गया आवंटन निरस्त कर तहसीलदार को उक्त आराजी को सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/10/25

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी